न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 5/2025

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –
1. शिवशंकर पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी भादवा पो. खेहरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर (मैसर्स श्री करणी कृपा मावा भण्डार, रीको रोड़, राजीव नगर जिला बाडमेर का विक्रेता व मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री धनराज चौधरी, अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 09.09.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 के प्रतिष्ठान **मैसर्स श्री करणी कृपा मावा भण्डार, रीको रोड़, राजीव नगर जिला बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **12.08.2024** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **मीठा मावा (मिठाई)** जो कि खुले लोहे के टीन में लगभग 15 किग्रा भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **02 किलो मीठा मावा (मिठाई)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2622** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **मीठा मावा (मिठाई)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक **23.08.2024** में उक्त खाद्य पदार्थ **मीठा मावा (मिठाई)** का नमूना को **अवमानक (Sub-standard)** बताया गया जिसकी अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में पेश किया गया कि उपरोक्त माल को सीलबंद हालात में विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक भेजे जाने के संबंध में लिंक साक्ष्य के अभाव में मामला खारिज योग्य है। फूड एनालिस्ट जोधपुर ने जो नमूने की जांच की है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को माल के अवमानक एवं प्रतिबंधित के निर्धारित मापदण्डों के स्तर के पाए जाने पर एफएसएल के रिपोर्ट अनुसार उक्त माल को संबंधित माल निर्माता को दूरूस्ती हेतु सुपूर्द किया जाना आवश्यक था। फिर भी उपरोक्त माल को लंबे समय तक रोककर रखने एवं माल का निस्तारण का आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से विधि अनुसार विप्रार्थी के अधिकारों का हनन हुआ है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। अतः विप्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **23.08.2024** में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार **B.R. Reading of extracted fat at 40 degree C** का मानक स्तर न्यूनतम **40 to 44** के मुकाबले **44.39** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को धारा 46 की उप–धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में पेश किया गया कि उपरोक्त माल को सीलबंद हालात में विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक भेजे जाने के संबंध में लिंक साक्ष्य के अभाव में मामला खारिज योग्य है। फूड एनालिस्ट जोधपुर ने जो नमूने की जांच की है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को माल के अवमानक एवं प्रतिबंधित के निर्धारित मापदण्डों के स्तर के पाए जाने पर एफएसएल के रिपोर्ट अनुसार उक्त माल को संबंधित माल निर्माता को दूरूस्ती हेतु सुपूर्द

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर (राज.) सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

किया जाना आवश्यक था। फिर भी उपरोक्त माल को लंबे समय तक रोककर रखने एवं माल का निस्तारण का आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से विधि अनुसार विप्रार्थी के अधिकारों का हनन हुआ है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। अतः विप्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें। अप्रार्थी जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर **रूपये 10,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 09.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर